

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

17/12/20
समझ

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही

एम०पी० वाद संख्या 166/2020

प्रथम पक्ष :-

1. मो० ऐनुल अंसारी, पिता मो० अली हुसैन
2. समीरुद्दीन अंसारी पिता अहिद अंसारी
3. कुददूस अंसारी पिता जयनुल अंसारी सभी सा० पुण्डरू, टोला-सिमाबाद, पो०-पुण्डरू, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो।

:- वृत्तांत :-

द्वितीय पक्ष :-

1. रमजान अंसारी
2. मुस्लिम अंसारी दोनों पिता स्व० वली सरदार
3. फिदा हुसैन
4. मोईन अंसारी
5. रज्जाक अंसारी
6. आला अंसारी उर्फ अलाउद्दीन अंसारी
7. मस्तान अंसारी सभी पिता स्व० उमर अंसारी
8. इन्सान अंसारी
9. हुसैन अंसारी
10. अमानत अंसारी
11. आलम अंसारी सभी पिता मोईन अंसारी
12. रव्वानी अंसारी
13. सूमान अंसारी सभी पिता रज्जाक अंसारी
14. मकशूद अंसारी
15. इदरीश अंसारी दोनों पिता स्व० यार मुहम्मद अंसारी
16. वलील अंसारी
17. सलीम अंसारी दोनों पिता स्व० जान मोहम्मद अंसारी
18. कासीम अंसारी पिता स्व० मूलमोहम्मद
19. आजाद अंसारी
20. अहमद अंसारी
21. अमजद अंसारी सभी पिता अलाउद्दीन अंसारी
22. तैयब अंसारी पिता उमर अली सभी सा० पुण्डरू, टोला उगनहीर, पो० पूण्डरू, थाना पिण्ड्राजोरा, जिला बोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 07.09.2020 का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु आवेदन प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

अनुसूचि (A) में अंकित भूमि

मौजा-पुण्डरू, थाना -पिण्ड्राजोरा, खाता सं०-246, प्लॉट सं०-298, रकबा-17 डी० जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है जो समीरुद्दीन अंसारी का है उत्तर - आज का खरीदार उक्त प्लॉट में ऐनुल अंसारी, दक्षिण- प्लॉट नं० 296, पूरब-प्लॉट नं० 297, पश्चिम- रोड।

अनुसूचि (B) में अंकित भूमि

मौजा-पुण्डरू, थाना -पिण्ड्राजोरा, खाता सं०-246, प्लॉट सं०-298, रकबा-17 डी० जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है जो मो० ऐनुल अंसारी का है उत्तर - आज का खरीदार उक्त प्लॉट में कुददूस अंसारी, दक्षिण- आज का खरीदार उक्त प्लॉट में समीरुद्दीन अंसारी, पूरब-प्लॉट नं० 297, पश्चिम- रोड।

अनुसूचि (C) में अंकित भूमि

मौजा-पुण्डरू, थाना -पिण्ड्राजोरा, खाता सं०-246, प्लॉट सं०-298, रकबा-17 डी० जिसका चौहद्दी निम्नलिखित है जो कुददूस अंसारी का है उत्तर - प्लॉट नं० 299, दक्षिण- आज का खरीदार उक्त प्लॉट में ऐनुल अंसारी, पूरब-प्लॉट नं० 297, पश्चिम- रोड।

अतः आवेदन के विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 28/9/2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

28/9/2020
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

की
द्वारा
पिछा

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

20 सूचना का तागिला प्राप्त ।
 प्रथम पक्ष के तीन सदस्य का हाजरे है
 S/C हेतु समय का आवेदन है
 द्वितीय पक्ष के बाईस सदस्य का हाजरे है
 तथा S/C हेतु समय का आवेदन है
 दिनांक 15/10/2020 को शुरू

S.O.M
Chas

15/11/20

~~1st party:~~~~- has not~~

Both parties present.

Both parties asked to submit w/c immediately

Next date 17/12/2020

S/P
15/11/20

17/11/20

Sec 144 is imposed more than 60 days
 back. sec 144 is time bound hence
 case is dropped.

S/P
17/11/20

22/11/20